पंचायती राज संस्थाओं के जन प्रतिनिधियों/ अधिकारियों/ कर्मचारियों का प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमता निर्माण

पंचायती राज संस्थाओं के जन प्रतिनिधियों/ अधिकारियों/ कर्मचारियों को उनके कार्य की कार्यप्रणाली एवं पंचायती राज अधिनियम व नियमों की जानकारी दिये जाने के लिये निम्न 3 प्रशिक्षण केंद्र संचालित है :–

1. ग्राम सेवक प्रशिक्षण केंद्र, मण्डोर (जोधपुर) — 15 अगस्त 1960 से
2. पंचायत प्रशिक्षण केंद्र, डूंगरपुर — 03 फरवरी 1994 से
3. पंचायत प्रशिक्षण केंद्र. अजमेर — 18 मई 1996 से

प्रशिक्षण केंद्रों पर निम्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैः–

1. ग्राम सेवक पदेन सचिव का नियमित प्रशिक्षण — 30 दिवसीय
2. ग्राम सेवक पदेन सचिव का अभिनवकरण प्रशिक्षण — 10 दिवसीय
3. जिला परिषद एवं पंचायत समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण — 03 दिवसीय
4. सम्मिलित प्रशिक्षण (सरपंच, कनिष्ठ अभियन्ता, ग्राम सेवक, रोकडिया इत्यादि) — 03 दिवसीय

वर्ष 2004–05 में उक्त प्रशिक्षण केंद्रों पर ग्राम सेवक जो सीधी भर्ती से नियुक्त किये गये है एवं विभिन्न विभागों से अधिशेष हुए कर्मचारी, जिन्हें ग्राम सेवक के पद पर पदस्थापित किया गया है, उनमें से 797 अप्रशिक्षित ग्राम सेवको को प्रशिक्षित किया गया था। वर्ष 2005–06 में भी 322 ग्राम सेवकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। वर्ष 2006–07 मे एक सत्र चलाया जाकर 22 ग्राम सेवकों को प्रशिक्षित किया गया। वर्ष 2006–07 में ही ग्राम सेवकों के अभिनवकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम का कलैण्डर इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान के द्वारा तैयार किया गया एवं तीनों प्रशिक्षण केंद्रों पर चलाये गये प्रशिक्षण कार्यक्रम में 1522 ग्राम सेवकों को प्रशिक्षण दिया गया एवं 203 पंचायत प्रसार अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया जिसका विवरण निम्नानुसार हैः–

Training of Gram Sewak in the year 2006-07

Sr. No	Name of Training Courses/ Workshop	Dates	Course Organised (yes/No)	Mandore	Ajmer	Dundarpur
1.	Foundation Course for Gram sewak	17-4-06 to 20-05-06	Yes	11	4	-
2.	Refresher Course for Gram Sewak	22-5-06 to 27-5-06	No	-	-	-
3.	Refresher Course for G.S.	12-6-06 to 17-6-06	No	-	-	-
4.	Refresher Course for G.S.	19-6-06 to 24-6-06	Yes	-	12	9
5-	Refresher Course for G.S.	26-6-06 to 1-7-06	Yes	-	4	-
6-	Refresher Course for G.S.	10-7-06 to 15-7-06	No	-	-	-
7-	Refresher Course for G.S.	17-7-06 to 22-7-06	Yes	-	21	36
8-	Refresher Course for G.S.	24-7-06 to 29-7-06	Yes	-	28	33
9-	Refresher Course for G.S.	21-8-06 to 26-8-06	Yes	27	38	42
10-	Refresher Course for G.S.	9-10-06 to 14-10-06	Yes	31	27	27
11-	Refresher Course for G.S.	30-10-06 to 4-11-06	Yes	28	24	36
12-	Refresher Course for G.S.	20-11-06 to 25-11-06	Yes	56	51	58
13-	Refresher Course for G.S.	27-11-06 to 2-12-06	Yes	43	44	41
14-	Refresher Course for G.S.	11-12-06 to 16-12-06	Yes	28	46	40
15-	Refresher Course for G.S.	18-12-06 to 23-12-06	Yes	16	36	36
16-	Refresher Course for G.S.	1-1-07 to 6-1-07	Yes	16	21	41

17-	Refresher Course for G.S.	15-1-07 to 20-1-07	Yes	15	10	31
18-	Refresher Course for G.S.	29-1-07 to 3-2-07	Yes	18	13	42
19-	Refresher Course for G.S.	12-2-07 to 17-2-07	Yes	15	29	52
20-	Refresher Course for G.S.	19-2-07 to 24-2-07	Yes	16	20	31
21-	Refresher Course for G.S.	5-3-07 to 10-3-07	Yes	17	10	47
22-	Refresher Course for G.S. *	11-9-06 to 16-9-06	Yes	25	60	60
	Total			**362**	**498**	**662**

*** Extra course of G.S.**

Grand total of Gram Sewak 362+498+662=1522

Training of PEOs in the year 2006-07

Sr. No	Name of Training Courses/ Workshop	Dates	Course Organised (yes/No)	Mandore	Ajmer	Dundarpur
1-	Refresher Course for PEOs	11-9-06 to 16-9-06	Yes	25	60	60
2-	Refresher Course for PEOs	13-11-06 to 18-11-06	Yes	8	36	14
	Total			**33**	**96**	**74**

Grand total of PEOs 33+96+74=203

इसके अतिरिक्त निम्न प्रशिक्षण संस्थानों में भी निर्वाचित जन प्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाता हैः–

1. इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर

2. हरिशचन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर / उदयपुर।

उपरोक्त संस्थानों में प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं कार्यशालायें आयोजित कर जनप्रतिनिधियों एवं पंचायती राज के अधिकारियों/ कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान कर उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि की जाती है। इसके अतिरिक्त विभाग के अधिकारियो को भी समय–2 पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में उक्त संस्थानों में प्रशिक्षण हेतु भेजा जाता है।

वित्तीय–वर्ष 2006–07 में तीनों केंद्रों के लिये आयोजना भिन्न मद में 52.11 लाख रूपये का प्रावधान किया गया था जिसे संशोधित अनुमानों में 50.76 कर दिया गया जो निम्नानुसार हैः–

(राशि लाख रूपये में)

क्रम संख्या	मद	प्रावधान
1.	संवेतन	49.75
2.	यात्रा व्यय	00.40
3.	चिकित्सा व्यय	00.50
4.	कार्यालय व्यय	02.00
5.	मशीनरी और साज सामान/ औजार एवं संयंत्र	00.00
6.	कार्यकलाप संबंधी वाहनों का संचालन एवं संधारण	00.10
7.	प्रशिक्षण, भ्रमण एवं सम्मेलन व्यय	00.01
	योग	**50.76**

उपरोक्त संशोधित प्रावधित राशि में से केंद्रो को कुल आवंटन एवं व्यय निम्नानुसार हैः–

(आवंटन राशि लाख रूपये में)

मद	मण्डोर		अजमेर		डूंगरपुर	
	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
1. संवेतन	15.00	14,86,034	19.55	19,53,143	11.85	11,83,539
2. यात्रा व्यय	00.10	5,029	00.20	8,850	00.10	2,089
3. चिकित्सा व्यय	00.10	6,239	00.25	24,921	00.15	15,002
4. कार्यालय व्यय	00.70	69,993	00.65	65,000	00.65	65,003
योग	**15.90**	**15,67,295**	**20.65**	**20,51,914**	**12.75**	**12,65,633**

तीनों केंद्रों पर निम्नानुसार पद सृजित हैः–

पद नाम/पद संख्या	वेतन मान संख्या
1	2
1. आचार्य (3)	14 (9000–14400)
2. व्याख्याता समाज शिक्षा (3)	12 (6500–10500)
3. व्याख्याता लेखा (3)	12 (6500–10500)
4. व्याख्याता अभियांत्रिकी (3)	13 (8000–13500)
5. व्याख्याता पंचायत (3)	11 (5500–9000)
6. कनिष्ठ लेखाकार (3)	10 (5000–8000)
7. वरिष्ठ लिपिक (4)	9 (4000–6000)
8. कनिष्ठ लिपिक (6)	6 (3050–4590)
9. वाहन चालक (3)	6 (3050–4590)
10. जमादार (1)	2 (2610–3540)
11. सहायक कर्मचारी (9)	1(2550–3200)
12. बागवान (1)	1(2550–3200)
13. सफाई कर्मचारी (1)	1(2550–3200)

वित्तीय वर्ष 2004–2005 एवं 2005–2006 की बजट की स्थिति निम्नानुसार हैः–

वर्ष 2004–05 का प्रावधान एवं तीनों केंद्रों का व्यय

क्रम संख्या	मद	प्रावधान (राशि लाख रू. में)	तीनों केंद्रों का व्यय
1.	संवेतन	47.00	38,74,391
2.	यात्रा व्यय	00.55	43,397
3.	चिकित्सा व्यय	00.50	43,952
4.	कार्यालय व्यय	03.00	2,99,873
5.	मशीनरी और साज सामान/ औजार एवं संयंत्र	00.00	00.00
6.	कार्यकलाप संबंधी वाहनों का संचालन एवं संधारण	00.05	00.00
7.	प्रशिक्षण, भ्रमण एवं सम्मेलन व्यय	–	–
	योग	51.11	42,61,613

वर्ष 2005–2006 का प्रावधान एवं तीनों केंद्रों का व्यय

क्रम संख्या	मद	प्रावधान (राशि लाख रू. में)	तीनों केंद्रों का व्यय
1.	संवेतन	46.00	42,75,365
2.	यात्रा व्यय	00.50	39,687
3.	चिकित्सा व्यय	00.50	49,659
4.	कार्यालय व्यय	2.00	1,99,924
5.	मशीनरी और साज सामान/ औजार एवं संयंत्र	00.00	00.00
6.	कार्यकलाप संबंधी वाहनों का संचालन एवं संधारण	0010	00.00
7.	प्रशिक्षण, भ्रमण एवं सम्मेलन व्यय	–	–
	योग	**49.10**	**45,64,635**

इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान द्वारा पंचायती राज क्षमता विकास की विकेन्द्रित प्रशिक्षण प्रणाली वर्ष 2000 से लागू करने की संकल्पना– ''प्रशिक्षण परिपेक्ष्य योजनाः 2000 से आगे निरन्तर'' नामक परियोजना तैयार की गई। इस परियोजना के अन्तर्गत संस्थान द्वारा अब तक तीन दौर, विकेन्द्रित प्रशिक्षण अभियान सम्पादित किये जा चुके है। वर्ष 2002 में सर्वप्रथम महिला जन प्रतिनिधियों हेतु, वर्ष 2003 में राज्य के समस्त पंचायत स्तर के जन प्रतिनिधियों एवं सचिवों हेतु तथा वर्ष 2005 में एक साथ राज्य के समस्त नव निर्वाचित पंचायती राज जन प्रतिनिधियों एवं संबद्ध लोक सेवकों के संयुक्त आमुखीकरण आयोजित कर चुनाव उपरान्त तीन माह के भीतर, लगभग 1.25 लाख पंचायती राज के जन प्रतिनिधि एवं अधिकारीगण प्रशिक्षण का लाभ पा चुके है।

वर्ष 2005–06 में किये गये कार्यः–

संस्थान द्वारा दिनांक 4 अप्रेल, 05 से 18 जून, 05 तक मात्र 75 दिनों में राज्य के सभी पंचायती राज जन प्रतिनिधियों यथा– जिला प्रमुख से लेकर वार्ड पंच तक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी से लेकर ग्राम सेवकों तक के, सुचारू प्रशिक्षण सम्पादित कर, राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति का लक्ष्य '' प्रशिक्षण सबके लिये'', सबसे कम समय में अर्जित कर, एक रिकॉर्ड उपलब्धि दर्ज की गयी है, जो अन्य सभी राज्यों के लिये भी एक अनुकरणीय मिसाल है।

इस योजना हेतु संस्थान द्वारा 5.02 करोड रूपये के व्यय प्रस्तावों को देखते हुये संस्थान को 1. 32 करोड रूपये की राशि भारत सरकार से प्राप्त हो गयी है, और 1.00 करोड राज्य के योजना मद में वर्ष 2005–06 के लिये प्रावधित की गयी, जो अब संस्थान को हस्तान्तरित कर दी गई है। शेष 2.70 करोड रूपये की राशि विभाग द्वारा संस्थान को स्वीकृत कर चैक के माध्यम से पूर्व में ही उपलब्ध करा दी गयी है।

इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान में दिनांक 4 अप्रेल 2005 से 9 अप्रेल 2005 तक तीन–तीन दिवस की 16–16 जिलों के जिला प्रमुखों एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की संयुक्त कार्यशाला की गयी एवं अन्य जनप्रतिनिधियों का प्रशिक्षण माह जून 2005 तक आयोजित कर उन्हें प्रशिक्षित कर दिया गया।

इन शिविरों के माध्यम से निम्नलिखित जनप्रतिनिधियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गयाः–

1. प्रधान 216 लगभग
2. विकास अधिकारी 213 ''
3. सरपंच 8270 ''
4. ग्राम सेवक 7750 ''
5. वार्ड पंच 80,000 ''

बहुत ही कम समय में सभी नव निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को शत प्रतिशत प्रशिक्षण दिया जाना विभाग की एक बडी उपलब्धि है।

विकास के लिये सामाजिक सहभागिता में पंचायतों की अहम् भूमिका है। विकास के विभिन्न कार्यक्रमों की सफलता त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की दक्षता पर निर्भर करती है। इन विकासात्मक जिम्मेदारियों को निष्पादन करने की जानकारी देने हेतु पंचायती राज तन्त्र को सुदृढ एवं सशक्त बनाने हेतु निसन्देह प्रशिक्षण कार्यक्रमों की महत्त्वपूर्ण भूमिका है।

राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के पदाधिकारियों/ अधिकारियों एवं कर्मचारियों की विशाल संख्या को देखते हुये मौजूदा प्रशिक्षण केंद्रों की यह संख्या कम है एवं संभागियों को दूरस्थ स्थानों से आने–जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये विभाग की वार्षिक कार्य योजना में प्रत्येक संभाग में पंचायती राज के जन प्रतिनिधियों के लिये प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने के बिन्दु पर माननीया मुख्यमंत्री महोदया द्वारा ली गयी विभाग की समीक्षात्मक बैठक में निर्देश दिये गये थे। इस हेतु सर्वप्रथम विभाग चारों संभागों यथा जयपुर, बीकानेर, कोटा एवं भरतपुर के किसी जिले में बिना उपयोग के पड़े हुये भवनों की जानकारी ली जाकर उन्हे चिन्हित कर लिया गया है। संभाग जयपुर में जयपुर में, संभाग बीकानेर में जिला चुरू में, संभाग कोटा में जिला बूंदी में एवं संभाग भरतपुर में भरतपुर में प्रशिक्षण केंद्र खोला जायेगा।

एक प्रशिक्षण केंद्र के लियें भवन उपलब्ध हो जाने पर एक वर्ष में होने वाला व्यय निम्नानुसार होगाः–

1. **संवेतनः–** वर्तमान में चल रहे केंद्रों पर पदस्थापित/ कार्यरत स्टाफ के आधार पर निम्नानुसार पद एवं वेतन श्रृंखला के आधार पर 6.35 लाख रूपयें की आवश्यकता होगीः–

क्र. सं.	पद नाम	पद संख्या	वेतन श्रृंखला
1.	आचार्य	1	9000–14400
2.	कनिष्ठ लेखाकार	1	5000–8000
3.	कनिष्ठ लिपिक	2	3050–3950–4590
4.	सहायक कर्मचारी	2	2550–2660–3200
	योग	6	

उपरोक्त पदों के लिये एक माह का व्यय 00.52 लाख रूपये होता है,
इसलिये 12 माह का वेतन भत्तो आदि पर व्यय होगा 06.35लाख रूपये

2. **यात्रा व्ययः–** स्टाफ के लिये यात्रा व्यय में न्यूनतम राशि 10,000 रूपये का प्रावधान कराया जाना होगा।
3. **चिकिसा व्ययः–** स्टाफ के लिये चिकित्सा व्यय में न्यूनतम राशि 10,000 रूपये का प्रावधान कराया जाना होगा।
4. **कार्यालय व्ययः–** (अ) नया केंद्र खुलेगा तो बिजली, पानी, दूरभाष स्टेशनरी आदि के लिये व्यय 1.00 लाख रूपये का प्रावधान कराना होगा। वर्तमान में चल रहे केंद्रों पर भी व्यय के लिये भी 1.00 लाख रूपये का प्रति केंद्र के हिसाब से प्रावधान है।

(ब) इसके अतिरिक्त नये भवन में परिवर्द्धन/ परिवर्तन आदि के लिये एवं कार्यालय के सफल संचालन हेतु फर्नीचर, कम्प्यूटर, टाइपराइटर, फोटो स्टेट आदि के लिये भी लगभग 2.00 लाख रूपये की आवश्यकता होगी।

(स) चूंकि प्रशिक्षण दिये जाने हेतु स्टाफ बाहर से लेना होगा तो उसके लिये भी कार्यालय व्यय में राशि का प्रावधान करसया जाना आवश्यक होगा। एक वर्ष में 365 दिवस में से 250 दिवस के लिये गेस्ट फैकल्टी को बुलाया जावे तो व्यय निम्नानुसार होगाः– 250 दिवस – एक दिन में 4 कालांश – एक कालांश का व्यय 150/– प्रति कालांश। ये व्यय 1.50 लाख रूपये बैठता है।

इस तरह कार्यालय व्यय में कुल 1.00+2.00+1.50=4.50 लाख रूपये की आवश्यकता होगी।

संक्षिप्त में एक नये केंद्र के लिये 1 वर्ष के लिये प्रस्ताव निम्नानुसार हैः–

1. संवेतन	6.35 लाख रूपये
2. यात्रा व्यय	0.10 लाख रूपये
3. चिकित्सा व्यय	0.10 लाख रूपये
4. कार्यालय व्यय	4.55 लाख रूपये
योगः–	11.10 लाख रूपये।

अतः एक केंद्र का कुल एक वर्ष का अनमानित व्यय 11.10 लाख रूपये के आधार पर 4 केंद्रों के लिये 44.40 लाख रूपये का व्यय होने की संभावना है।

<u>वर्ष 2006–07 में किये गये कार्यः–</u>

1. पंचायतों के विकास एवं प्रशिक्षण हेतु भारत सरकार को वित्तीय सहायता के प्रस्ताव :– PRI Refresher Training Compaign: 2006 – A proposal for Financial Assistance under GOI funded scheme of Panchayat Development and Training भेजे गये है। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम दो भागों में निम्नानुसार प्रस्तावित है एवं उनका व्यय भी उनके सामने अंकित हैः–

Round	Target Group	Total Estimated Cost	GOI share (75%)	State Share (25%)
Phase I	PRI members from Reserved categories (esc. SC/ST and women)	243-07 lacs	182-00 lacs	60-77 lacs
Phase II	All categories of PRI members and their official counterparts	485-23 lacs	363-92 lacs	121-31 lacs
	Total	728-30 lacs	545-92 lacs	182-08 lacs

उक्त राज्यांश की राशि 182.00 लाख रूपये में प्रमुख शासन सचिव महोदय के निर्देश है कि 100. 00 लाख की व्यवस्था आयोजना मद में की जावे एवं शेष 82.00 लाख रूपये की व्यवस्था इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान जयपुर अपने निजी संसाधनों से करेंगें।

2. पंचायती राज संस्थाओं के आगामी चुनाव वर्ष 2010 में इस कार्यकाल के समाप्त होने पर होगे। उन चुनावों से चुन कर आने वाले पंचायती राज संस्थाओं के नव निर्वाचित पदाधिकारियों को प्रशिक्षित करने हेतु 5.00 करोड़ का व्यय होना अनुमानित है। और केंद्र सरकार के नार्म्स के आधार पर 75 प्रतिशत हिस्सा केंद्र का एवं 25 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार का होगा। इस तरह केंद्रांश 3.75 करोड़ एवं राज्यांश 1.25 करोड़ रूपये होगा।

3. पंचायती राज संस्थाओं के वर्ष 2010 में चुन के आये जन प्रतिनिधियों के लिये आगामी वर्षो यथा 2011–12 में अभिनवकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किये जायेंगे। इसके लिये भी 7.00 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत आयेगी। 7.00 करोड़ को भी केंद्राश 5.25 करोड़ एवं राज्यांश 1.75 करोड़ के हिसाब से प्राप्त कर उपयोग किया जायेगा।

4. ग्राम सभाओं को मजबूत बनाने के लिये "Gramya Shakti" Pilot Project onEmpowerment of gram Sabha (2007-10) प्रथमतः राजस्थान के दो जिलों चुरू और सवाईमाधोपुर को चुना है। यहां की 25 प्रतिशत जनसंख्या SC/ST कैटेगरी की है। 190.00 लाख रूपये का प्रोजेक्ट तीन सालों (2007–10) का है। एक वर्ष के लिये 63.33 लाख रूपये का प्रोजेक्ट है। दोनों जिलों की ग्राम पंचायतों के आधार पर एक पंचायत पर 14,074.00 रूपये प्रतिवर्ष का विनियोग अनुमानित है।